

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

अभिव्यक्ति की अभिरूचि (द्वितीय आमंत्रण)

क्रमांक / 4691 / न.पा.नि. / स्वा.वि. / 2024

जगदलपुर, दिनांक 15/02/24

नगरपालिक निगम जगदलपुर द्वारा नगरीय क्षेत्र में प्रवीर वार्ड में इन्द्रावती नदी के किनारे 10 सीटर सार्वजनिक सह सामुदायिक शौचालय निर्माण (शेष कार्य) कार्य एवं 30 वर्ष तक संचालन/संधारण हेतु लागत राशि रु. 9.72 लाख अशासकीय संस्थानों (NGOs/Contractors/SHGs/unorganized) से अभिव्यक्ति की अभिरूचि (Expression of Interest) दिनांक 28.02.2024 को संध्या 5.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है, प्राप्त समस्त ई.ओ.आई. दिनांक 29.02.2024 को समय 11.30 बजे खोली जावेगी। कार्य हेतु ऐसे अशासकीय संस्थाएं एवं पंजीकृत ठेकदार जिन्हें ऐसा कार्य का अनुभव रखते हैं वे निम्नांकित जानकारियों/अभिलेख/पत्रों के साथ अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

1. संस्था/पंजीकृत स्वसहायता समूहों का लेटर पेड में आवेदन।
2. संस्था/पंजीकृत स्वसहायता समूहों संस्था का पंजीयन।
3. राज्य शासन अथवा सरकारी प्रतिष्ठानों से मान्यता प्राप्ति का प्रमाण पत्र।
4. संस्था/पंजीकृत स्वसहायता समूहों संस्था का वार्षिक व्यापार विवरण (Yearly Turnover)
5. संस्था/पंजीकृत स्वसहायता समूहों कम-से-कम 03 शौचालयों निर्माण एवं संचालन करने अनुभव का प्रमाणपत्र।
6. संस्था/पंजीकृत स्वसहायता समूहों संस्था का पेन नम्बर। ई0ओ0आई0 शुल्क रु. 7500.00 नकद या डी.डी. के माध्यम से जमा किया जा सकता है
7. आवेदन के साथ रु. 7,000.00 अमानत राशि एफडीआर के रूप में जो आयुक्त, नगरपालिक निगम जगदलपुर के पक्ष में देय हो जमा करना होगा या छुट संबंधी पत्र की सत्यापित प्रति बिना अमानत राशि के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

15.2.24

कार्यपालन अभियंता

नगरपालिक निगम, जगदलपुर

स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत निर्माण में योगदान दें

पृ0क्र. / 4692 / न.पा.नि. / स्वा.वि. / 2024

जगदलपुर दिनांक 15/02/2024

प्रतिलिपि:-

1. मान0 महापौर, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मान0 अध्यक्ष (स्पीकर), नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मान0 सभापति, स्वच्छता विभाग समिति, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. नेता प्रतिपक्ष, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र रायपुर/जगदलपुर। कृपया आपके समाचार पत्र में दिनांकके अंक में एक बार साईज 2 कॉलम 10 सें.मी. या इससे कम साईज में प्रकाशित कर इस आदेश क छायाप्रति सहित प्रकाशित समाचार पत्र की 3 प्रतियों सहित देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
6. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
7. श्री सुमित महापात्र, जनसंपर्क, नगरपालिक निगम जगदलपुर की ओर शासन के निर्देशानुसार समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु तीन-तीन प्रतियों में प्रेषित है। समाचार पत्र में प्रकाशन उपरांत प्रकाशित समाचार पत्र की दो-दो प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
8. सूचना फलक:- मुख्य कार्यालय/लोक निर्माण शाखा/जलप्रदाय शाखा कार्यालय नगर पालिक निगम जगदलपुर में चस्पा हेतु।

15.2.24

कार्यपालन अभियंता

नगरपालिक निगम, जगदलपुर

प्रति,

आयुक्त
नगरपालिक निगम,
बस स्टैण्ड रोड, शांती नगर वार्ड क. 25
जगदलपुर जिला-बस्तर छ0ग0

विषय :- प्रवीर वार्ड में इन्द्रावती नदी के किनारे 10 सीटर सार्वजनिक सह सामुदायिक शौचालय निर्माण (शेष कार्य) कार्य एवं 30 वर्ष तक संचालन/संधारण हेतु लागत राशि रु. 9.72 का **EOI**

मैं/हम

..... संस्था/पंजीकृत स्वसहायता समूहों पता

..... जगदलपुर क्षेत्रान्तर्गत निजी शासन द्वारा स्वीकृत ड्राईंग डिजाईन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार शौचालय निर्माण हेतु इच्छुक हूँ । मेरे द्वारा शौचालय का संचालन/संधारण कार्य हेतु मेरा/हमारा अभिलेख निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. ई0ओ0आई0 शुल्क रु. 750.00 नकद जमा रसीद क्रमांकदिनांक .
..... या डी.डी. क्रमांक..... दिनांक
- बैंक का नामकी मूल प्रति संलग्न है
2. संस्था/पंजीकृत स्वसहायता समूहों का लेटर पेड में ही आवेदन पत्र ।
3. संस्था/पंजीकृत स्वसहायता समूहों संस्था का पंजीयन पत्र ।
4. संस्था/पंजीकृत स्वसहायता समूहों का पेन कार्ड की छाया प्रति
5. संस्था/पंजीकृत स्वसहायता समूहों कम-से-कम 03 शौचालयों निर्माण एवं संचालन करने अनुभव का प्रमाण पत्र ।
6. संस्था/पंजीकृत स्वसहायता समूहों का वार्षिक टर्न ओवर राशि रु.
7. सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय निर्माण एवं संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ।
8. आवेदन के साथ रु. 7000.00 का अमानत राशि का एफडीआर क.
दिनांकजो आयुक्त नगरपालिक निगम के पक्ष में देय हो का मूल प्रति ।

संस्था/पंजीकृत स्वसहायता समूहों के हस्ता.

नाम

पता


.....

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर, जिला-बस्तर, (छत्तीसगढ़)
नियम शर्तें

1. **Expression of Interest** दिनांक 28.02.2024 को सांय 5.30 बजे तक स्पीड पोस्ट/रजि.डाक के माध्यम से आमंत्रित
2. प्राप्त **Expression of Interest** को दिनांक 29.02.2024को 11.30 बजे उपस्थित संस्था/पंजीकृत स्वसहायता समूहों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी ।
3. नियम शर्तें का पूर्ण अवलोकन उपरांत दिये गये निर्देशानुसार निविदा में भाग लिया जा सकता है निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. आवेदन प्रपत्र निगम से जारी नहीं किया जावेगा, निविदा प्रपत्र, नियम शर्तें नगरपालिक निगम जगदलपुर के वेबसाईट www.nagarnigamjagdapur.in से निविदा जमा करने के अंतिम तिथि के पूर्व **Downlod** (डाउनलोड) कर , डाउनलोड आवेदन पत्र नियम शर्तें एवं प्रत्येक कार्य के लिये निर्धारित ईओआई प्रपत्र शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट तथा निर्धारित अमानत राशि का एफ.डी.आर. जो आयुक्त नगरपालिक निगम जगदलपुर के पक्ष में देय हो जमा करना होगा । निविदा प्रपत्र शुल्क हेतु नगद राशि जमा करने हेतु इच्छुक ठेकेदार निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से एक कार्यालयीन दिवस पूर्व तक नगर निगम लोक निर्माण कार्यालय नकद जमा कर रसीद प्राप्त की जा सकती है । जिसकी मूल प्रति निविदा के साथ निर्धारित लिफाफा में जमा करना होगा ।
5. निविदा में भाग लेने के लिए नियम/शर्तें का पूर्ण अवलोकन कर निविदा में सम्मिलित हों । किसी प्रकार जानकारी हेतु नगर निगम के लोक निर्माण शाखा में निम्नांकित मो. नं. 9285006102, या 9285006118 या सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती
6. आवेदन संस्था/पंजीकृत स्वसहायता समूहों का लेटर पेड में होना अनिवार्य है ।
7. ईओआई लिफाफा में चाही गई वांछित जानकारी, अभिलेख, प्रपत्र, ईओआई शुल्क जमा विवरण की मूल प्रति एवं अमानत राशि का एफडीआर की मूल प्रति डालकर शीलबंद लिफाफा स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त होने पर ही विचार किया जावेगा ।
8. कार्य स्थल का नाम लागत एवं विस्तृत विवरण शासन से कार्य स्वीकृति होने के पश्चात उपलब्ध कराया जावेगा ।
9. ईओआई में भाग लेने हेतु रु. 750.00 नकद नगरपालिक निगम कार्यालय, जगदलपुर में जमा कर आवेदन एवं नियम शर्तें प्राप्त की जा सकती है ।
10. ई.ओ.आई के साथ रु. 10000.00 का अमानत राशि का एफडीआर जो आयुक्त नगरपालिक निगम के पक्ष में देय हो या शासन द्वारा इस संबंध मे संस्था को जारी छुट प्रमाण-पत्र की छाया प्रति जमा करना अनिवार्य होगा । इसके बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा ।
11. संस्था/पंजीकृत स्वसहायता समूहों का वार्षिक टर्न ओवर की राशि का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा
12. सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय निर्माण एवं संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ।
13. कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम राशि भुगतान नहीं किया जावेगा ।
14. एक से अधिक संस्था/पंजीकृत स्वसहायता समूहों का (**Expression of Interest**) एक से अधिक संस्था पात्र पाये जाने पर जिस संस्था द्वारा अधिक कार्य पूर्ण करने एवं संधारण का अनुभव से कार्य करवाया जावेगा ।
15. किसी भी ईओआई को बिना कारण बताएं स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिका निगम, जगदलपुर के पास सुरक्षित है।

16. सार्वजनिक सह सामुदायिक शौचालय निर्माण एवं संचालन कार्य हेतु कम-से-कम 03 सार्वजनिक शौचालय निर्माण एवं संचालन का अनुभव अनिवार्य है ।
17. सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय निर्माण एवं संचालन, संधारण का कार्य लगभग 10 स्थलों में किया जाना है । आवश्यकता अनुसार 10, 14, 16, 26 या कम/अधिक सीटर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।
18. शौचालय का विद्युत प्रभार एवं जल प्रदाय का प्रभार नगर निगम द्वारा वहन किया जावेगा ।
19. समय-समय पर शासन/जिला प्रशासन/नगर निगम द्वारा जारी आदेश को एन.जी.ओ./स्वसहायता समूह को पालन करना अनिवार्य होगा ।
20. योजनान्तर्गत प्रस्तावित सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय का निर्माण स्वच्छता मानीटर तथा निकाय के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी यथा आयुक्त द्वारा चयनित स्थल पर किया जावेगा ।
21. निर्माण कार्य पूर्ण करने की समयावधि 06 माह रहेगी ।
22. जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरान्त, नगरीय निकाय एवं एनजीओ के मध्य अनुबंध निष्पादन किया जावे । अनुबंध की शर्तों में सुविधा -24 योजना निर्देशों में प्रदर्शित संचालन-संधारण तथा निर्माण एवं आगामी 30 वर्षों के रखरखाव की व्यवस्था का पूर्णतया प्रावधान किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
23. निर्माण कार्य वर्क्स डिपार्टमेंट मैनुअल का अनुपालन करते हुये किये जायेंगे । यदि निर्माण का कार्य, वर्क्स मैनुअल के आधार पर किसी ठेकेदार का चयन कर कराया जाता है, तो नगरीय निकाय द्वारा शौचालयों के रखरखाव की सम्यक, व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी क्योंकि योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई प्राक्कलन की राशि में आगामी 30 वर्षों के रख-रखाव की व्यवस्था, पे एण्ड यूज के आधार पर सम्मिलित है । यदि निर्माण कार्य ठेका पद्धति से कराया जाता है तो अनुबंध में 30 वर्ष के लिए रख-रखाव सम्मिलित नहीं है तो परियोजना लागत से मानक प्राक्कलन में रख-रखाव हेतु प्रावधारित 20 प्रतिशत राशि कम करते हुए निविदा स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावे ।
24. योजनान्तर्गत निर्मित शौचालयों का ब्रॉडिंग प्रमोशन स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत किया जावे एवं कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने पर निर्माण कार्य की GEO TAGGED फोटो भारत सरकार के पोर्टल पर अनिवार्यतः अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
25. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर का निर्णय अंतिम होगा । किसी भी कार्य को कम या अधिक करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर को होगा ।
26. निविदा सूचना में उल्लेखित तिथि को अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्यदिवस मानी जावेगी ।
27. शौचालयों का संचालन कार्य के देयक से शासन को देय कर/फीस/शुल्क की राशि समय-समय पर निर्धारित दरों पर कटौति कर भुगतान किया जावेगा ।
28. शौचालय का संचालन हेतु रखे गये कर्मचारी/सदस्य को कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर मजदुरी का भुगतान बैंक में खाता खोलकर करना अनिवार्य होगा ।
29. सशर्त निविदाये स्वीकार योग्य नहीं होगी ।
30. नगरीय क्षेत्र के विभिन्न वार्ड में निर्माण किया जाना है । जिस वार्ड में अति आवश्यक है वहां सर्वप्रथम निर्माण करना होगा ।
31. इस सूचना को निगम के विभागीय वेबसाइट www.nagarnigamjagdalpur.in से डाउनलोड कर प्राप्त जा सकती है ।

हस्ता.....
ई0ओ0आई0 प्रस्तुतकर्ता
एन.जी.ओ./स्वसहायता समूह के


कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम, जगदलपुर